उद्योग मंत्रालय
MINISTRY OF INDUSTRY

अधिसूचना
NOTIFICATION

नई दिल्ली, 6 जून, 1964
New Delhi the 6th June, 1964

2167- नमक उपकरण अधिनियम, 1953 (1953 का 49) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नमक उपकर नियमावली, 1953 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित नियम बनाए हैं, जैसे :-

S.O. 2167—In exercise of the powers, conferred by Section 6 of the Salt Cess Act, 1953 (49 of 1953), and in supercession of the Salt Cess Rules 1953 the Central Govt. hereby makes the following rules, namely :-

1. संक्षिप्त नाम:—इन नियमों को नमक उपकर नियमावली, 1964 कहा जाएगा।
Short title:—These rules may be called the Salt Cess Rules, 1964.

परिभाषाएं :—इन नियमों में यदि संदर्भ में अन्यथा शर्त न रखी गई हो तो
Definitions :—In these rules, unless the context otherwise requires,

क) 'अधिनियम' का अर्थ नमक उपकर अधिनियम, 1953 (1953 का 49) होगा;
"Act" means the Salt Cess Act. 1953 (49 of 1953)

ख) "अभिकर्ता" का अर्थ कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे नमक विनिर्माता की अपनी फैक्टरी के या उसकी फैक्टरी में बनाए गए नमक के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से अथवा प्रछन्न रूप से अपने 'अभिकर्ता' के रूप में प्राधिकृत किया हो और उसे नमक अधिकारी ने स्वीकार कर लिया हो ;
"Agent" means any person who is recognised by the Salt Officer as the person expressly or impliedly authorised by the salt manufacturer to be his agent in respect of his salt factory or of the salt manufactured in his factory.

ग) "उपकर" का अर्थ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उगाहों और इकट्ठा किया गया उपकर है ;
"Cess" means of the cess levied and collected under section 3 of the act;

घ) "सहकारी संस्था" का अर्थ सहकारी संस्था का अधिनियम, 1912 (1912 का 2) या समय विशेष में लागू किसी भी कानून के अन्तर्गत पंजीकृत कोई भी सहकारी संस्था है ;
"Cooperative Society" means, a Co-operative Society registered under the Cooperative Socities Act 1912 (2 of 1912) or under any law for the time being in force);

) "फार्म" का अर्थ इन नियमों के साथ संलग्न फार्म है;
"Form" means a form appended to these rules;

) "लाइसेंस" का अर्थ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 103 के अंतर्गत जारी किए गए लाइसेंस से है और 'लाइसेंसधारी' का अर्थ उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो अलग-अलग या संयुक्त रूप से लाइसेंस रखते हों ;
"Licence" means a licence issued under the rule 103 of the Central Excise Rules 1944 and a "licensee" means a person or group of persons holding individually or jointly, a licence;

"नमक अधिकारी" का अर्थ नमक विभाग का अधिकारी है जिसका पद निरीक्षक के पद से छोटा न हो और जिसे नमक विनिर्माण की भूमि या परिसर पर क्षेत्राधिकार प्राप्त हो;
"Salt Officer" means an officer of the Salt Department not below the rank of an Inspector having jurisdiction over the land or premises where salt is manufactured;

"नमक विनिर्माणशाला" का अर्थ नमक फैक्टरी के अन्दर कोई भी निर्दिष्ट क्षेत्र है जिसका उपयोग नमक बनाने के लिए किया जाता है। और जिसका लोक लेखों में पृथक पंजीकरण हुआ है ;
"Salt works" means an any defined area within a salt factory which used for the manufacture of salt and which is separately registered as such in public accounts;

Cess when and by whom payable :—The cess shall be paid by the manufacturer at the time when the salt is removed from the factory.

4. उपकर की अदायगी का तरीका:—उपकर सम्बन्धी सभी अदायगियों खजाने में "II संघ उत्पाद शुल्क नमक-नमक पर उपकर" के अन्तर्गत जमा की जाएंगी।

Manner of payment of cess :—All payments on account of cess shall be made into the Treasury to the credit of "II union excise duties-Salt-Cess on Salt".

5. फैक्टरी से नमक का बाहर लाना :—अन्यथा रखी गई व्यवस्था के अतिरिक्त जब तक नमक पर देय उपकर अदा न हो जाए और नमक अधिकारी से तत्संबंधी परमिट प्राप्त न कर लिया जाए नमक किसी भी फैक्टरी से बाहर नहीं लाया जा सकता। चाहे यह इस्तेमाल के लिए लाया जाए या किसी अन्य वस्तु के विनिर्माण के लिए।

Removal of salt from factory :—Save as otherwise provided no salt shall be removed from any salt factory, whether for the consumption or for manufacture of ony other commodity, unless the cess due thereon has been paid and permit in respect thereof has been obtained from the Salt Officer.

यह व्यवस्था की जाती है कि यह नियम उस नमक पर नहीं लागू होगा जो नमक फैक्टरी से भंडारे कमरे या आयुक्त द्वारा अनुमोदित किसी अन्य गोदाम में ले जाया जा रहा हो।

Provided that this rule shall not apply to any salt removed from a salt factory to a store-room or other place of storage approved by the Commissioner.

यह भी व्यवस्था की जाती है कि विनिर्माता इस प्रकार के पृथक परेषण के लिए अदायगी करने के बजाए आयुक्त की अनुमति लेकर नमक अधिकारी के यहां एक 'चालू लेखा' खोल सकता है और उस लेखों में हमेशा के लिए एक ऐसी राशि जमा रख सकता है जो आयुक्त की राय में एक मास की अवधि के दौरान विनिर्माण-स्थल से गोदाम को भेजे जाने वाले नमक पर उगाहे जाने वाले उपकर की राशि के लिए पर्याप्त हो, चालू लेखों का हिसाब-किताब नमक अधिकारी एक मास के भीतर ही कर लिया करेगा।

Provided further that with the permission of the Commissioner a manufacturer may, instead of making payment of cess in respect of each separate consignment, open an account current with the Salt Officer and keep in such account at all times, an amount sufficient in the opinion of the Commissioner to cover the amount of cess leviable on salt intended to be removed from the place of manufacture or storage during a period of one month; the account current being settled by the Salt Officer at intervals not exceeding one month.

यह भी व्यवस्था की जाती है कि आयुक्त द्वारा दिए गए परमिट की शर्तों के अधीन और उनके अनुसार ही नमक रविवार को या किसी सार्वजनिक छुट्टी या किसी अन्य दिन 9 बजे रात और 6 बजे सुबह के बीच बाहर निकाला जा सकता है उसके अतिरिक्त नहीं।

Provided further that no salt shall, except under and in accordance with the terms and conditions of a permit granted by the Commissioner, be removed from a factory on a Sunday or other public holiday or on any other day between 9 p.m. and 6 a.m.

यह भी व्यवस्था की जाती है कि उसी परिसर में रसायनों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए नमक फैक्ट्री से निकाले गए नमक पर लगे हुए उपकर की अदायगी ऐसे समय में तथा ऐसे ढंग से की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार समयानुसार निर्धारित करे।

Provided further that the cess with respect to salt removed from a salt factory for consumption in the manufacture of chemicals in the same precincts shall be paid at such times and in such manner as the Central Govt. may specify from time to time.

m. Hed 6. नमक के बाहर जाने के लिए आवेदन:-

Application for removal of salt:-

(1) जो भी व्यक्ति नमक फैक्टरी से नमक बाहर लाना चाहता है उसे फैक्टरी कार्यालय के कार्य समय के भीतर नमक अधिकारी को फार्म 'क' फार्म 'ग' या फार्म 'घ' पर जो भी उचित हो, आवेदन देना होगा और साथ ही उस पर लगे उपकर की अदायगी का रसीदी खजाना चालान भी, यदि हो तो, संलग्न करना होगा।

Any person who desires to remove salt from a salt factory shall apply (within the working hours of the factory office) officer concernod in Form "A" Form 'C' or Form 'D' as the case may be together with the receipted Treasury Challan, if any, for the payment of cess due thereon.

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित आवेदन पत्र और रसीदी खजाना चालान प्राप्त होने पर नमक अधिकारी फार्म 'ख' में परमिट जारी कर सकता है।

On the receipt of the application and the receipted Treasury Challan referred to in sub-rule (1) the Salt Officer may issue a permit in Form 'B'.

7\. नमक की भार-परीक्षा :—(1) नमक फैक्ट्री से बाहर निकाला हुआ नमक परमिट के साथ ही सीधे भार-परीक्षा केन्द्र यदि कोई हो, या परमिट में उल्लिखित प्लेटफार्म पर निर्दिष्ट अवधि के भीतर ले जाया जाएगा।

Check weighment of salt :—(1) Salt removed from a salt factory shall be taken, together with the permit covering it direct to the checkweighment station, if any, or platform named in the permit, within the period specified in the permit.

Omitted

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी हुए आदेशों को ध्यान में रखते हुए भार परीक्षा केन्द्र या प्लेटफार्म का प्रभारी अधिकारी नमक की कुल मात्रा के कम से कम 5% अंश की भार परीक्षा करेगा। यदि भार परीक्षा करने पर वजन का अंतर 1% के अंदर है तो उसकी उपेक्षा की जाए और नमक को अपने गन्तव्य पर ले जाने की अनुमति दे दी जाए। यदि अन्तर 1% और 4% के बीच हो तो अतिरिक्त मात्रा पर उपकर की अदायगी के बाद ही नमक को गन्तव्य पर ले जाने दिया जाए। यदि अन्तर 4% से भी अधिक हो तो नमक की कुल मात्रा स्वामी द्वारा विनिर्माण स्थल को भेज दी जानी चाहिए जहां उसकी दुबारा भार परीक्षा की जाए और परमिट में उल्लिखित मात्रा के अनुसार उसके वजन में फेर बदल किया जाए।

Subject to such orders as the Central Govt. may issue from time to time in this behalf, the Officer-in-Charge of the checkweighment station or platform shall checkweigh a minimum of 5% of the quantity of salt. If the verification on weighment is within 1% it may be ignored and the salt may be allowed to be taken to the destination. In case the veriation is between 1% and 4% the salt may allowed to be removed to the destination on payment of cess on the excess quantity. In the event of the variation being more than 4% the entire quantity of salt shall be removed by the owner to the place of manufacture for complete re-wheighment and adjustment so as to comply with the quantity mentioned in the permit.

8\. एक बार बाहर लाया हुआ नमक वापस न ले जाया जाए :—इन नियमों के अनुसार नमक फैक्टरी से बाहर लाया हुआ नमक दुबारा उसके अंदर नहीं ले जाया जा सकता है।

Salt once removed not to be brought back :—No. Salt which has been removed from a salt factory in accordance with these rules shall be brought back into it.

9\. उपकर की अदायगी से छूट :—निम्नलिखित मामलों में नमक की उपकर की अदायगी में उनमें से प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट सीमा तक छूट दी जाएगी :

Exemption from payment of cess:—In the following cases, salt shall be exempt from payment of cess to the extent specified against each.

(क) भारत के समुन्द्री मार्ग से निर्यात किए हुए नमक पर............पूरी छूट।
Salt exported by sea from India..........the whole.

(ख) किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा किसी नमक निर्माण शाला में बनाए गए नमक पर............पूरी छूट। जिसका क्षेत्रफल 4.04686 हेक्टेयर से अधिक न हो
Salt manufactured by any person or group of persons in a salt work, the area of which does not exceed 4.04686 Hectare..........the whole.

(ग) किसी सरकारी संस्था द्वारा नमक निर्माण शाला में बनाए गए नमक पर, संस्था के प्रत्येक सदस्य के पास 4.04686 हेक्टेयर या उससे कम का क्षेत्र हो............पूरी छूट।
Salt manufactured in a Salt work by a cooperative society the area held by each individual member thereof being 4.04686 Hectares or less........the whole

(घ) किसी नमक निर्माण शाला में, जिसका क्षेत्रफल 4.04686 हेक्टेयर से अधिक किन्तु 40.4686 हेक्टेयर से कम हो, बनाए गए नमक पर............आधी छूट।
Salt manufactured in a salt work the area of which exceeds 4.04686, but does not exceed 40.4686.......one half.

(ङ) किसी सहकारी संस्था द्वारा नमक निर्माण शाला में बनाए गए नमक पर, निर्माणशाला में संस्था के प्रत्येक सदस्य के पास जो क्षेत्र है वह 4.04686 हेक्टेयर से अधिक हो किन्तु 40.4686 हेक्टेयर से अधिक न हो..........आधी छूट।
Salt manufactured in a salt work by a cooperative society the area held by each individual member thereof being more than 4.04686 Hectare not more than 40.4686 Hectares........one half.

(च) भारत से भारतीय राज्य व्यापार निगम सी० नई दिल्ली और नमक व्यापार निगम सी० काठमांडू नेपाल की एजेन्सियों के माध्यम से भेजे गए नमक पर..............पूरी छूट।
Salt despatched from India to Nepal through the agencies of the State Trading Corporation of India Ltd., New Delhi and Salt Training Corporation Ltd., Kathmandu, Nepal........the whole.

10. नमक का संचयन—प्रत्येक विनिर्माता सारा नमक अपनी नमक फैक्टरी में इकट्ठा करके या व्यवस्थित ढंग से जमा करके रखेगा उसकी मात्रा का अनुमान सुभीते के साथ लगाया जा सके, और यदि आयुक्त चाहे तो—

Storage of Salt:—Every manufacturer shall keep all salt in the salt factory heaped or stocked in an orderly manner so as to facilitate the estimation of quantity and if the Commissioner so requires, shall also

(क) वह नमक के पैकेज अलग-अलग ढेरों में या पैकेजों के ढेरों में रखेगा।
Keep packages containing salt arranged in separate heaps or lots of packages.

(ख) वह अलग-अलग ढेरों या पैकेजों के ढेरों के सम्बन्ध में स्टाक कार्ड भी रखेगा।
Maintain stock cards in respect of separate heaps or lots of packages.

11. स्टाक लेखा अनुरक्षण :—प्रत्येक विनिर्माता—
Maintainance of stock account:—Every manufacturer shall—

(क) फैक्टरी में नमक के स्टाक का सच्चा और ठीक-ठीक लेखा ऐसी विधि से रखेगा जिसका निर्देश आयुक्त ने दिया हो, और
Maintain true and correct account of the stock of salt in the factory in such form and in such manner as may be specified by the Commissioner; and

(ख) यदि नमक अधिकारी चाहे तो लेखे के निरीक्षण की अनुमति देगा या उसे निरीक्षण के लिए पेश करेगा।
When so required by the Salt Officer, permit inspection of the account of produce it for his inspection.

12. नमक की माप और तोल:—
Weighing and measuring salt:—

(1) प्रत्येक विनिर्माता नमक फैक्टरी के सारे नमक के तोलने, मापने और उसका लेखा-जोखा करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करेगा और जब भी आयुक्त चाहे उन्हें काफी संख्या में तराजू, बाट और माप उपलब्ध करेगा।
Every manufacturer shall render all facilities to the Salt Officer for weighing, measuring and taking account of all salt in the salt factory and shall when required by the Commissioner, provide sufficient number of correct scales, weights and measures.

(2) जहां विनिर्माता ने तराजू बाट और मापों की व्यवस्था नहीं की है वहां फैक्टरी का नमक विभाग द्वारा उपलब्ध तराजू, बाटों, और मापों से तोला या मापा जाएगा। ये तराजू बाट आयुक्त द्वारा निर्धारित किराए पर दिए जाएंगे जिनकी अदायगी विनिर्माता को करनी होगी।
Where the manufacturer has made no provision, for scales, weights and measures, the salt in the salt factory shall be weighed or measured by the scales, weights and measures provided by the department on payment of such hire charges as may be prescribed by the Commissioner.

13. विवरणियां प्रस्तुत करना :—प्रत्येक विनिर्माता को प्रत्येक मास की 10 तारीख तक या उससे पहले '3' फार्म में एक विवरणी नमक अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी जिसमें पिछले महीने नमक फैक्टरी में बने और बाहर निकाले गए नमक के सभी स्टाक का ब्यौरा दर्ज होगा।

Submission of returns: Every manufacturer shall submit to the Salt Officer on or before the tenth of every month a return in form 'E' of all stocks of salt manufactured in and issued from the Salt Factory during the previous month.

14. कम लगाए गए उपकर की वसूली:—जहां नमक अधिकारी की भूल या चूक या गलतफहमी के कारण या विनिर्माता अथवा उसके एजेन्ट या किसी अन्य व्यक्ति नमक की मात्रा या ब्यौरे के बारे में दिए गए गलत विवरण के कारण उपकर कम लगाया गया हो या गलती से वापस कर दिया गया हो तो इन व्यक्तियों को जिन पर वह उपकर कम दिया गया था या उस व्यक्ति को जिसे गलती से वह वापस कर दिया गया था नमक अधिकारी की लिखित मांग पर उस तारीख के जिसको वह उपकर कम लगाया गया था या वापस कर दिया गया था, तीन मास के भीतर जैसा भी हो कमी की रकम अदा करनी होगी या वापस की गई रकम दुबारा अदा करनी होगी।

Recovery of cess short levied :- Where through inadvertance error or misconstruction of the part of the Salt Officer, or through anymis-statement as to the quantity of description of such salt on the part of manufacturer or his agent or for any other reason cess, has been short levied or corroneously refunded the persons chargeable with the Cess so short levied or the person to whom such refund has been erroneously made, shall on written demand made by the Salt Officer within three months from the date on which the cess was short-levied or refunded, pay the deficiency or repay the amount refunded.

15\. उपकर की रकम की वापसी:—कोई भी उपकर जिसकी अदायगी की जा चुकी है और जिस की भूल या चूक या गलतफहमी के कारण अदायगी होने के फलस्वरूप पूरी या आंशिक वापसी की मांग की जाए तो वह तभी वापस किया जाएगा जबकि अदायगी की तारीख या समंजन की तारीख से जैसा भी हो, तीन मास के भीतर नमक अधिकारी से लिखित मांग की जाए।

Refund of cess:—No cess which has been paid and of which a refund, in whole or in part, is claimed in consequence of the same having been paid through inadvertance, error or misconstruction shall be refunded, unless a written claim is made with Salt Officer within three months from the date of the payment or adjustment, as the case may be.

16\. उपकर से किया गया खर्च:—सारा पूंजीगत खर्च "40-पूंजी, औद्योगिक विकास नमक पर खर्च" शीर्षक के अंतर्गत नामे डाला जाएगा। शेष सभी खर्च "35 उद्योग नमक" शीर्षक के अन्तर्गत निर्दिष्ट विभिन्न उपशीर्षों और विस्तृत शीर्षों के अंतर्गत नामे डाला जाएगा।

Expenditure from cess:—All expenditure of a capital nature shall be debited to the Head "40 Capital. Out-lay on Industrial Development Salt." All other expenditure shall be debited to the various sub-heads and detailed heads prescribed under the Head "35-Industries-Salt."

17\. उपकर की वसूली का खर्च:—आयुक्त हर वित्त वर्ष की समाप्ति पर सभी नमक फैक्टरियों के सम्बन्ध में लागू उपकर पर आए खर्च का हिसाब लगाएगा और उस खर्च की रकम को केन्द्र सरकार के अनुमोदन से उपकर की वसूली पर आया खर्च मान लिया जाएगा।

Cost of collection of cess : The Commissioner shall work out at the close of each financial year the expenditure on the collection of cess in respect of all salt factories and the amount so worked out shall with the approval of the Central Govt. be treated as the cost of collection of the cess.

18\. कच्चा लेखा:—

Proforma account :

(1) आयुक्त हर वित्त वर्ष की समाप्ति पर 'च' में सरकारी लेखे से अलग एक कच्चा लेखा तैयार करेगा जिसमें पिछले वर्ष के दौरान उपकर लेखे में हुई आय और व्यय का ब्यौरा तथा उस वर्ष के अंत में रहा शेष दर्ज होगा।

After the close of each financial year the Commissioner shall compile in form 'F' a proforma account outside the Govt. account showing the receipts into and the expenditure from the cess account during the year and the balance remaining at that end of the year.

(2) कच्चे लेखे की लेखपरीक्षा महालेखापाल, वाणिज्य, निर्माण और विविध या उसके द्वारा इस कार्य के लिए विधिवत् प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जाएगी।

The proforma account shall be audited by the Accountant General, Commerce, Works & Miscellaneous or any other Officer duly authorised by him in this behalf.

(3) महालेखापाल, वाणिज्य, निर्माण और विविध अथवा अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा विधिवत् लेखा परीक्षित और प्रमाणित कच्चे लेखे की एक प्रति लेखे से सम्बन्धित वित्त वर्ष से अगले वर्ष में जनवरी में या एक उसके समाप्त होने से पहले केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएगी।

A copy of the proforma account duly audited and certified by the Accountant General, Commerce, Works & Miscellaneous or such other officer shall be forwarded to the Central Govt. on or before the end of January following the financial year to which the accounts relates.

(4) लेखा नमक संगठन की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट में भी शामिल किया जाएगा।

The account shall also be incorporated in the annual Administration Report of the Salt Organisation.

'फार्म' क
'Form' A

(देखें नियम 6)
(*See Rule 6*)

नमक के, जिस पर उपकर अदा हो चुका है, बाहर निकालने के लिए परमिट का आवेदन
Application for permit for the removal of salt on which cess is paid

मंडल Circle	नमक फैक्टरी Salt Factory

1. आवेदक का नाम ....
Name of applicant

2. आवेदक का निवास .... संख्या .... नाम ....
Residence of applicant — No. — Name

3. नमक फैक्टरी के लाइसेंस की संख्या तथा नाम .... प्लेटफार्म सं० ...... ढेर संख्या ....
Number and name of license of the Salt factory. — Platform No. — Heap No.

4. प्लेटफार्म और ढेर जिसमें से सुपुर्दगी की जानी है ....
Platform or heap from which delivery is to be made.

5. मात्रा .... टन .... क्विंटल ....
Quantity — Tonnes — Quintals

6. प्रति क्विंटल लागत मूल्य .... रु० .... पै० ....
Cost price per quintal — Rs. — P.

7. नमक उपकर अधिनियम, 1953 (नियम 9) के अधीन उपकर की दर, चालान सं० और तारीख और उस खजाने का नाम जिसमें उपकर जमा कराया गया है या चालू लेखा सं० और आवेदन की तारीख को उस लेखे में जमा रकम।
Rate of cess under the Salt Cess Act, 1953 (Rule 9) Challan No. and date and name of Treasury in which the cess has been deposited or account Current No. and the amount in credit balance on the date of applicant.
उपकर की राशि
Amount of cess.
रु० .... पै० ....
Rs. — P.

8. स्थान का नाम जहां नमक भेजा जाना है।
Place to which salt is to be transported.

9. नमक स्थानीय खपत के लिए चाहिए या कहीं और भेजने के लिए, यदि बाद के प्रयोजन के लिए चाहिए तो उस स्थान या जिले का नाम जहां उसकी खपत होने वाली है।
Whether the Salt is required for local consumption or for subsequent transport elsewhere; if for the latter, the place or district for the consumption of which it is destined.

10. नमक आवेदक के हटाया जाना है या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, यदि दूसरे व्यक्ति के लिए है तो उसका नाम और पता दें।
Whether removal is on applicants own account or for another persons if for another person, his name and address.

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं। कि उपर्युक्त बयान सच है।
I/We hereby declare the above statement to be true.

आवेदक/लाइसेंसधारी
Applicant/Licensee

फार्म 'ख'
FORM 'B'

(देखें नियम 6)
(*See Rule 6*)

नमक फैक्टरी से नमक हटाए जाने के लिए परमिट
Permit for removal of salt from a salt factory

सेवा में,
To

____
____
____
____

नाम .... फैक्टरी ....
Name Factory

लाइसेंसधारी सं० .... की .... फैक्टरी के
ढेर सं० .... प्लेटफार्म सं० .... में से
टन/क्विटल .... (शब्दों में) .... नमक
.... (पद) के सुपुर्द कर दें।

Deliver to of (Rank)
(Figures) Tonnes/Quintals of salt from Heap No.................... Platform No ....
of .... factory, belonging to licensee No ....
Cess under Salt Cess Act, 1953 on the said quantity of salt has been paid. This permit is valid for ......
.... days.

नमक उपकर अधिनियम, 1953 के अधीन नमक की उपर्युक्त मात्रा पर उपकर अदा किया जा चुका है। यह परमिट
.... दिन के लिए वैध है।

Under salt cess Act, 1953 on the said qnantity of salt has been paid. This permit is valid for ......
.... days.

टन/क्विटल (शब्दों में)
Tonnes/Quintals (in words)

प्रभारी अधिकारी
Officer I/C.

सं० No.	फार्म सं० Form No.	लाइसेंसधारी की संख्या और नाम No. & Name of licensee	आवेदक का नाम Name of applicant	सुपुर्द की जाने वाली मात्रा Quantity to be delivered	अदा किया गया उपकर Cess paid Rs.	नमक उपकर अधिनियम 1953 के अधीन उपकर जिसके लिए ऋण दिया गया Cess under the salt Cess Act 1953 for which credit has been given Rs.	प्लेटफार्म तथा ढेर जहां से सुपुर्दी की जाती है Platform and heap from which to be delivered	आवेदन की संख्या और तारीख No. of application and date
	2	3	4	5	6	7	8	9

फार्म 'ग'
FORM 'C'

(देखें नियम 6)
(*See Rule 6*)

सेवा में,
To

नमक अधिकारी
The Salt Officer

के मैं/हम निम्नलिखित मात्रा में .... गंतव्य देश को .... फैक्टरी से समुद्री रास्ते से नमक का निर्यात करना चाहता हूं/चाहते हैं।

I/We..of..propose to export the under mentioned quantity of salt to (country of destination)........................by sea from ....factory.

टूटे हुए/बगैर तोड़े हुए नमक का प्रकार Variety of salt crushed/un-crushed	नमक की मात्रा (टन) (पैकेज) Quantity of salt (tonnes) (packages)	जहाज तक निःशुल्क मूल्य दर और पोतलदान की बन्दरगाह Price F.O.B. Rate & port of shipment	मूल्य रु० Value Rs.	अभ्युक्ति Remarks

2. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण सही हैं और ठीक प्रकार से प्रस्तुत किया गया है।
I/We hereby declare that the above particulars are true and correctly stated.

....
'ace

मालिक या प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर
Signature of owner or athorised agent

तीख.....................
ate

भी प्रतियों पर)
)n all copies)

प्रमाणित किया जाता है कि पिछले पृष्ठ पर दिये गये परेषण की मैंने परीक्षा कर ली है और मुझे संतोष है कि विवरण में गई बातें ठीक हैं। निर्यात किये गये नमक की मात्रा पर उपकर से छूट दे दी गई है।

Certified that I have examined the consignment described overleaf and am satisfied that the parti-ars stated in the description are correct. The quantity of salt exported is exempted from the levy cess.

न
ce

ख
te

नमक अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Salt Officer

(मूल तथा दूसरी प्रति पर)
(On Original and Duplicate)

2. प्रमाणित किया जाता है कि निर्यात लाइसेंस सं० .... तारीख .... को .... से भेजा गया था के सन्दर्भ में परेषण पोतपरिवहन बिल सं० .... के लिए रवाना हुआ जो तारीख .... 197 को ....

Certified that the consignment was shipped under shipping Bill No. .... dated .... Ref. Export Licence No. .... dated .... on the .... day of 197

सीमा शुल्क अधिकारी
Signature of Salt Officer

स्थान ....
Place

तारीख ....
Date

(केवल दूसरी प्रति पर)
(On duplicate only)

प्रमाणित किया जाता है कि पिछले पृष्ठपर उल्लिखित नमक को नहीं उतारा गया है और उसे भारत के किसी भी बन्दरगाह में नहीं उतारना है।

Certified that salt described overleaf has not been relanded and is not intended to be relanded at any part of India.

निर्यातकर्ता के हस्ताक्षर
Signature of Exporter

स्थान ....
Place

तारीख ....
Date

फार्म 'च'

FORM 'F'

(देखें नियम 18)
(*See Rule 18*)

उपकर में होने वाली आय तथा उससे होने वाला व्यय
Receipt and expenditure from the Cess

आय
Receipts

1. अवशेष
Opening Balance — रु० Rs.

2. उपकर के रूप में जमा हुई राशि
Amount of collection on account of Cess.

3. ऋणों तथा पेशगियों को वापसी से प्राप्ति राशि
Amount realised on account of loans and advances.

4. ऋणों तथा पेशगियों से वसूल ब्याज।
Interest realised on loans and advances.

5. अन्य आय—जो सेल जमा में जमा होने वाली आय समझा जा सकता है।
Other receipts that may be treated as creditable to Cell Collections.

जोड़
Total

व्यय
Expenditure

1. उपकर उगाही का व्यय, व्यय का अनुपातिक अंश — रु०
Cost of collection of Cess proportional share of expenditure. — Rs

2. (*i*) नमक आयुक्त का प्रधान दफ्तर..................
Salt Commissioner's Head Office

(*ii*) खण्डीय मुख्यालय का कार्यालय....................
Regional Headquarters Office.

निम्नलिखित पर खर्च :--

3, (*i*) पर्यवेक्षण :- स्थापना और क्षेत्रों में काम कर रहे कर्मचारियों पर जिसमें विशेष उपकर के रूप में वसूल राशि के अतिरिक्त लाइसेंसधारी के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में हुए खर्च तथा पर्यवेक्षण खर्च शामिल नहीं है।

Expenditure on -

(*i*) Supervisory establishment and staff employed in Regions excluding the cost and supervision charges on account Licensees works, except amount recovered by way of special Cess.

(*ii*) इंजीनियरी (वर्कशाप) स्थापना पर हुआ खर्च।
Expenditure on Engineering (workshop)

(*iii*) फैक्टरियों की स्थापना, रख रखाव और विस्तार, अनुसंधान केन्द्र और माडल फार्म जो वाणिज्यिक संस्थाएं घोषित नहीं किए गए हैं।
Establishment maintenance and expansion of factories research stations and model farms not declared as Commercial concerns.

(*v*) नमक फैक्टरी में काम करने वाले मजदूरों को कल्याण
Welfare of labour employed on Salt Industry.

(*v*) नमक (निर्माण) फैक्टरियों के पुनर्निर्माण और पुनर्समायोजन के लिए ऋण और पेशगियां....................
Loans and advances for remodeling and readjustment of Salt (works) factories.

(6) उपदान और सहायक अनुदान आदि................
Subsidy and grants-in-aid etc.

(7) इतिशेष..............................
Closing balance carried over.

जोड़
Total

नमक आयुक्त..........................
Sait Commissioner

प्रमाणित किया जाता कि उपर्युक्त आंकड़ों का सरकारी लेखों की बहियों में दर्ज आंकड़ों से पुनर्मेल कर लिया गया है।
Certified that the above figures have been reconciled with those booked in Govt. Accounts,

लेखा अधिकारी
Accounts Officer
नमक आयुक्त का कार्यालय,
Salt Commissioner's Office
जयपुर
Jaipur

महालेखापाल
ACCOUNTANT GENERAL
वाणिज्य, निर्माण और प्रकीर्ण
Commerce, Works & Miscellaneous

(सं० एफ 15 (16)/54-नमक)
(No. F.15 (16)/54-Salt)
एच० के० बंसल, अवर सचिव।
H.K, Bansal, Under Secy.

FORM 'E'

(देखें नियम 13)

(See Rule 13)

बनाये गए और जारी किये गए नमक की मासिक विवरणी

Monthly return of salt manufactured and issued

फैक्टरी का नाम और पता
Name of factory and Address

मास..................19
Month 19

क्रम संख्या S. No.	नमक का प्रकार Variety of salt	पिछले मास के अंत में नमक की मात्रा Quantity of salt at the end of previous month	मूल्य Price	मास के दौरान बनाए गए नमक की मात्रा Quantity of salt manufactured during the month	खाना 3 और 5 का जोड़ Total of cols. 3&5	उपकर अदा करके फैक्टरी से हटाये गए नमक की मात्रा Quantity of salt removed from the factory on payment of Cess	उपकर दर राशि Cess Rate Amount	उपकर अदा किए बिना निर्यात के लिए हटाये गए नमक की मात्रा Quantity of salt removed for export without payment of Cess	अन्य पदार्थों के विनिर्माण के लिए उपकर अदा किये बिना हटाये गए नमक की मात्रा Quantity of salt removed without payment of cess for manufacture of other commodities	खाना 7, 10 और 11 के अंतर्गत आने वाले नमक की मात्रा जो फैक्टरी से हटाया गया Quantity of salt other than that covered by Cols. 7,10&11 removed from the factory	अभ्युक्ति Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते है कि मैंने/हमने उपर्युक्त ब्यौरे का मेरी/हमारी फैक्टरी के रिकार्ड से मिलान कर लिया है और जहां तक मैं/हम निश्चय कर सकता हूं/कर सके हैं वह ठीक और पूरा है।

I/We declare that I/we have compared the above particulars with the record of my/our factory and that they are in so far as I/we ascertain, accurate and complete.

विनिर्माता के हस्ताक्षर
Signature of manufacturer

फार्म ....
Form

(देखें नियम 6)
(*See Rule 6*)

नमक के जिसका समुद्री मार्ग से निर्यात नहीं किया जाना है किन्तु जिसपर उपकर से पूरी छूट दी जा चुकी है, हटाए जाने के लिए परमिट ए आवेदन पत्र ।
Application for permit for the removal of salt not intended to be exported by sea but wholly npt from cess.

मंडल Circle	फैक्टरी Factory

आवेदक का नाम........................
Name of the applicant

आवेदक का निवास........................
Residence of applicant

उस नमक फैक्टरी के लाइसेंसधारी की संख्या और नाम.......
No. and name of licensee of that salt factory — सं० No. — नाम Name

प्लेटफार्म और ढेर जहां से सुपुर्दगी की जाती है ।
Platform and heap from which delivery is to made. — प्लेटफार्म सं० Platform No. — ढेर सं० Heap No.

मात्रा....................................
Quantity — टन/क्विंटल Tonnes/Quintals

लागत-प्रति क्विंटल...........................
Cost price per quintal.

स्थान जहां नमक भेजा जाना है ।
Place to which salt is to be transported.

नमक स्थानीय खपत के लिए चाहिए या कहीं और भेजने के लिए, यदि बाद के प्रयोजन के लिए चाहिए तो उस स्थान या जिले का नाम जहां उसकी खपत होने वाली है ।
Whether the salt is required for local consumption or for subsequent transport elsewhere if for the latter, the place or district for the consumption of which is destined.

नमक आवेदक के लिए हटाया जाना है या किसी अन्य व्यक्ति के लिए यदि दूसरे व्यक्ति के लिए है तो उसका नाम और पता दें
Whether the removal is on applicant's own account or for another persons; if for another person his name and address.

मैं/हम घोषणा करता/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण सही है ।
I/We hereby declare the above statement to be true.

आवेदक/लाइसेंसधारी
Applicant/Licensee

MGIPNLK—3/S.C Raj/72—20-6-74—1,000 Copeis.

रजिस्ट्री सं० डी०—221

REGISTERED No.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग 2—अनुभाग 1क
PART II—Section 1A

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 110] नई दिल्ली, बुधवार, 17 दिसम्बर, 1975/26 अग्रहायण, 1897 (शक)
No. 110] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 17, 1975/AGRAHAYANA 26, 1897 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, December 17, 1975/*Agrahayana* 26, 1897 (*Saka*)

The following translation in Hindi of the Salt Cess Act, 1953 is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

नमक उपकर अधिनियम, 1953

(1953 का अधिनियम सं० 49)

[1 अगस्त, 1975 को यथाविद्यमान]

[26 दिसम्बर, 1953]

सरकार द्वारा अनुरक्षित नमक संगठन पर तथा नमक के विनिर्माण, प्रदाय और वितरण के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किए गए उपायों पर किए गए व्ययों की पूर्ति के निमित्त धन एकत्र करने के प्रयोजनार्थ नमक पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नमक उपकर अधिनियम, 1953 है । संक्षिप्त

(2) इसका विस्तार, जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय, सम्पूर्ण भारत पर है । विस्तार

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे । प्रारम्भ ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं

(क) "विनिर्माण" के अन्तर्गत, नमक के सम्बन्ध में, आते हैं—नमक का संग्रहण, हटाना, तैयार करना, अवमज्जन, वाष्पन, उबालना, या इन प्रक्रियाओं में से

खाद्य नमक उत्पादित हो, तथा प्राकृतिक लवणीय निक्षेपों या लोनी का उत्खनन या हटाया जाना; और "विनिर्माता" शब्द का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा तथा इसके अन्तर्गत न केवल ऐसा व्यक्ति होगा जो नमक के उत्पादन या विनिर्माण में भाड़े के श्रमिकों को नियोजित करता है किन्तु ऐसा व्यक्ति भी होगा जो, यदि नमक विक्रय के लिए आशयित है तो, उसके उत्पादन या विनिर्माण में स्वतः लगता है ।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड में, "शोरे" के अन्तर्गत, रासी, सज्जी, और लवणीय मिट्टी से विनिर्मित अन्य सभी पदार्थ, और खारीनून तथा सोडे के प्रत्येक प्रकार के सलफेट या कार्बोनेट आते हैं ;

(ख) "नमक" के अन्तर्गत दलदली नमक, स्वतः उत्पन्न नमक, और किन्हीं लवणीय पदार्थों या लवण मिट्टी से बना या उत्पादित नमक या लवणीय घोल आते हैं ;

(ग) "नमक का कारखाना" के अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं,—

(i) नमक के विनिर्माण के प्रयोग में लाया जाने वाला, या लाए जाने के लिए आशयित, कोई स्थान तथा सभी बांध, जलाशय, संघनन एवं वाष्पन कड़ाह, भवन, तथा बेकार स्थान, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर यथापरिभाषित किसी स्थान की सीमाओं के भीतर स्थित हैं ; 1944 का 1

(ii) ऐसे किसी स्थान से अनुलग्न सभी शुष्कन स्थल और संचयन चबूतरे, और गोदाम ;

(iii) वह भूमि जिस पर नमक स्वतः उत्पन्न होता है ;

(घ) * * *

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ।

नमक पर उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण ।

3. किसी भी नमक के कारखाने में, चाहे वह सरकार के स्वामित्व में हो या न हो, भारत में विनिर्मित सभी नमक पर उत्पाद-शुल्क के प्रकार का एक उपकर चौदह नए पैसे प्रति चालीस किलोग्राम की दर से ऐसी रीति से उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा जो विहित की जाए ।

उपकर के आगमों का उपयोजन ।

4. यदि संसद् इस निमित्त विधि द्वारा किए गए विनियोग द्वारा वैसा उपबन्ध करती है तो, इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत शुल्क के आगम, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथावधारित संग्रहण-व्यय घटाकर, निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी उद्देश्यों के लिए काम में लाए जाएंगे, अर्थात् :—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित नमक संगठन के सम्बन्ध में उपगत व्यय की पूर्ति;

(ख) अंय अभिकरणों द्वारा नमक के विनिर्माण, प्रदाय और वितरण के सम्बन्ध में किए गए उपायों पर हुए व्यय की पूर्ति तथा अन्य अभिकरणों द्वारा नमक के विनिर्माण, प्रदाय और वितरण का विनियमन और नियंत्रण, तथा विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए किए जाने वाले उपाय :—

... सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं

(i) अनुसन्धान केन्द्रों तथा नमक के आदर्श फार्मों की स्थापना और उनका अनुरक्षण;

(ii) नमक के कारखानों की स्थापना, अनुरक्षण और उनका विस्तार ;

(iii) नमक की श्रेणियां नियत करना;

(iv) नमक के विनिर्माताओं के मध्य सहकारी प्रयासों की अभिवृद्धि एवं प्रोत्साहन; तथा

(v) नमक उद्योग में नियोजित श्रमिकों के कल्याण की अभिवृद्धि ।

1944 का 1

5. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 37 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए, तथा भूतपूर्व वित्त विभाग (राजस्व खण्ड) की अधिसूचना सं० 3, तारीख 29 मार्च, 1947 के साथ प्रकाशित किए गए, नियम द्वारा नमक के विनिर्माण या उत्पादन की बाबत अधिरोपित प्रभार के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन वैसे ही उद्‌गृहीत कियागया है मानो वह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त था जिसको वह प्रभार इस प्रकार अधिरोपित किया गया था और तदनुसार,—— इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व नमक पर उद्‌गृहीत प्रभारों का विधिमान्यकरण।

(क) ऐसे प्रभार के रूप में संदत्त या संदेय कोई धनराशि विधि के अनुसार संदत्त या संदेय समझी जाएगी, और

(ख) इस प्रकार संदत्त किसी धनराशि की वापसी के लिए किसी न्यायालय में कोई दावा नहीं किया जा सकेगा ।

6. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी । नियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा,——

(क) इस अधिनियम के अधीन उद्‌गृहीत उपकर का निर्धारण और संग्रहण;

(ख) उपकर के संग्रहण-व्यय का अवधारण;

(ग) वह रीति, जिससे उपकर के आगमों के सम्बन्ध में लेखे रखे जाएंगे;

(घ) वह रीति, जिससे उपकर के आगम धारा 4 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाए जा सकेंगे;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन उद्‌गृहीत समस्त उपकर या उसके किसी भाग से निम्नलिखित को छूट प्राप्त होगी——

(i) भारत से निर्यात किया गया नमक ;

(ii) छोटे विनिर्माताओं के किसी विनिर्दिष्ट प्रवर्ग द्वारा विनिर्मित नमक; और

(iii) उद्योग के किसी अन्य उत्पाद के विनिर्माण में उपयोग में लाया गया नमक ।

(3) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं

तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पूर्व उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

के० के० सुन्दरम्,
सचिव, भारत सरकार ।

25775

1030Law/75—125+10—22-3-76—GIPF.

Relevant Extract pertaining to Act No. 49 of 1953.
1953 के अ. स. 49 से संबंधित उद्धरण

प्रत्यायोजित विधान उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1985

(1986 का अधिनियम संख्यांक 4)

[14 जनवरी, 1986]

अधीनस्थ विधान संबंधी समितियों की, नियमों और अन्य प्रत्यायोजित विधान के प्रकाशन और विधान-मंडल के समक्ष रखे जाने तथा कुछ अन्य विषयों संबंधी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कुछ अधिनियमों का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रत्यायोजित विधान उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1985 है ।

(2) यह उस तारीख[1] को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित भिन्न-भिन्न अधिनियमितियों से संबंधित संशोधनों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

2. **कुछ अधिनियमितियों का संशोधन**—अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों को, उस विस्तार तक और उस रीति से, जो उसके तीसरे स्तंभ में उल्लिखित है, संशोधित किया जाता है ।

[1] [illegible] 1986 से [illegible]

1	2	3
41.	नमक उपकर अधिनियम, 1953 (1953 का 49)	धारा 6 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :— "(3) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"।

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 4, 2001/भाद्र 13, 1923
No. 442] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 4, 2001/BHADRA 13, 1923

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2001

सा. का. नि. 639(अ).— केंद्रीय सरकार, नमक उपकर अधिनियम, 1953(1953 का 49) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नमक उपकर नियम, 1964 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नमक उपकर (संशोधन) नियम, 2001 है ।

   (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नमक उपकर नियम, 1964 में, -

   (क) नियम 3 में, "उस समय अदा किया जाएगा जब कि नमक फैक्टरी से बाहर लाया जाए" शब्दों के स्थान पर "नियम 5 मे अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अग्रिम रूप में संदाय किया जाएगा" शब्द और अंक रखे जाएंगें ;

(ख) नियम 4 में,

उपकर की अदायगी का तरीका :- उपकर संबंधी सभी अदायगियाँ खजाने में 'II संघ उत्पाद शुल्क नमक-नमक पर उपकर' के अन्तर्गत जमा की जाएंगी शब्दों और अंकों के स्थान पर "उपकर संदाय की रीति- उपकर संबंधी सभी संदाय खजाने में, नमक विभाग के किसी पदाभिहित अधिकारी के पक्ष में संदेय किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी मांग देय ड्राफ्ट के द्वारा या प्रत्येक पखवाड़े में अग्रिम रूप से, पदाभिहित बैंकों में सीधे '038-संघ उत्पाद शुल्क - नमक पर नमक उपकर' के अन्तर्गत जमा किए जाएंगे" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ग) विद्यमान नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"कारखाने से नमक का हटाया जाना :- अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, नमक के किसी कारखाने से कोई नमक नहीं हटाया जाएगा, चाहे उपभोग के लिए या किसी अन्य वस्तु के विनिर्माण के लिए जब तक कि उस पर देय उपकर अग्रिम रूप से संदत्त न किया गया हो ।"

"परन्तु विनिर्माता प्ररूप-छ में एक व्यैक्तिक खाता - लेखा (पी एल ए) रखेगा और हटाए गए परेषणों पर दिन प्रतिदिन के उपकर प्रभारों को विकलित करेगा तथा नमक अधिकारी को व्यैक्तिक खाता-लेखा की उद्धहरण प्रति के साथ प्ररूप "ज" में मासिक उपकर का हिसाब प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यह और कि उक्त विनिर्माता, नमक अधिकारी के पास एक "चालू खाता" खोल सकेगा और ऐसे खाते में, हर समय ऐसी रकम रखेगा जो आयुक्त की राय में पन्द्रह दिन की अवधि के दौरान विनिर्माण या भंडारण के स्थान से हटाए जाने के लिए आशयित नमक पर उदग्रहणीय उपकर की रकम को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो; ऐसा चालू खाता, नमक अधिकारी द्वारा एक मास से अनधिक के अंतरालों पर परिनिर्धारित किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि नमक अधिकारी, उक्त विनिर्माता की बाबत मासिक उपकर लेखा की संवीक्षा करेगा और अपने अभिलेख में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा"- ;

(घ) नियम 6 और 7 का लोप किया जाएगा;

(ङ) नियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :-

"8 ऐसा कोई नमक जिसे इन नियमों के अनुसार नमक, नमक के कारखाने से हटाया गया है, नमक अधिकारी को उचित सूचना दिए बिना वहां वापस नहीं लाया जाएगा" ;

(च) नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"10. प्रत्येक विनिर्माता, नमक फैक्ट्री के अंदर सारे नमक को व्यवस्थित रीति में ढेर लगाकर रखेगा या उसका चट्ठा बनाकर रखेगा जिससे कि इसकी मात्रा के प्राक्कलन को सुकर बनाया जा सके" ;

(छ) नियम 12 हटाया जाएगा;

(ज) नियम 18 में, "महालेखा पाल, वाणिज्य, निर्माण और विविध" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां-जहां वे आते हैं, "वेतन और लेखा अधिकारी (नमक)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 02011/01/2000-नमक]
एस. जगदीशन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :- मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 2167 तारीख 6जून, 1964 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें का.आ.सं. 4037तारीख 17 नवम्बर, 1964, का.आ.सं. 2038 तारीख 16 जून, 1965, का.आ.सं. 1510 तारीख 12 मई, 1966, का.आ.सं. 3592 तारीख 18 नवम्बर, 1966, का.आ.सं. 2343 तारीख 27 अगस्त, 1973 और का.आ.सं. 2586 तारीख 9 सितम्बर, 1981 द्वारा संशोधन किए गए ।

प्रारूप "छ"

(नियम 5 के अधीन पहला परंतुक देखिये)

मैसर्स.. का वैयक्तिक लेजर खाता

तारीख	उपकर का आदि अतिशेष	जमा किए गए उपकर की रकम	डीडी/ चलान सं. और तारीख़	योग (2-3)	हटाए गए नमक की मात्रा टनों में	जमा किए उपकर के समतुल्य रकम	परिवहन की पद्धति रेल/सड़क /समुद्र	प्रयोजन जिसके लिए हटाया गया खाद्य/औद्योगिक /निर्यात	हटाए जाने का स्थान	बिल सं./बीजक सं.	उपकर का अंत्य अतिशेष	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्ररूप - "ज"

(नियम 5 के अधीन पहला परन्तुक देखिये)

------------------------का मास------------------------------ की बाबत उपकर खाता------------------

---

मास के दौरान जमा की गई रकम	योग (1+2)	मास के दौरान हटाए गए नमक की मात्रा	उपकर की दर	समायोजित उपकर की रकम	उपकर का अतिशेष

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2001

G.S.R. 639(E).— In exercise of the powers conferred by section 6 of the Salt Cess Act, 1953 (49 of 1953), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Salt Cess Rules, 1964, namely:-

1. (1) These Rules may be called the Salt Cess (Amendment) Rules, 2001.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Salt Cess Rules, 1964, -

   (a) in rule 3, for the words "at the time when the salt is removed from the factory", the words and figure " in advance subject to the provisions contained in rule 5" shall be substituted;

   (b) in rule 4, for the words and figures 'into the treasury to the credit of "II-Union Excise Duties – Salt Cess on Salt", the words and figures 'by way of demand draft issued by a scheduled bank, payable in favour of designated officer of the Salt Department or paid through challan to the credit of "038-Union Excise Duties – Salt Cess on Salt" directly in designated banks in advance, every fortnight' shall be substituted;

(c) in rule 5, -

(i) for the words "has been paid and permit in respect thereof has been obtained from the Salt Officer", the words "has been paid in advance" shall be substituted;

(ii) for the first and the second provisos, the following provisos shall be substituted, namely:-

'Provided that a manufacturer shall maintain a Personal Ledger Account (PLA) in Form-G and debit day-to-day cess charges on the consignments removed and shall furnish a monthly cess account in Form-H along with extract copy of the Personal Ledger Account, Invoices and Bills to the Salt Officer :

Provided further that the said manufacturer may open an "Account current" with the Salt Officer and keep in such account, at all times, an amount sufficient in the opinion of the Commissioner to cover the amount of cess leviable on salt intended to be removed from the place of manufacture or storage during a period of fifteen days; the account current being settled by the Salt Officer at intervals not exceeding one month :

Provided also that the Salt Officer shall scrutinize the monthly cess account in respect of the said manufacturer and make necessary entries in his record' ;

(d) rules 6 and 7 shall be omitted;

(e) for rule 8, the following rule shall be substituted namely:-

"8. No salt which has been removed from a salt factory in accordance with these rules shall be brought back into it without proper intimation to the Salt Officer.";

(f) for rule 10, the following rule shall be substituted, namely:-

"10. Every manufacturer shall keep all salt in the salt factory heaped or stacked in an orderly manner so as to facilitate the estimation of quantity.";

(g) rule 12 shall be deleted;

(h) in rule 18, for the words "Accountant General, Commerce Works and Miscellaneous ",at both the places where they occur, the words and brackets, "Pay and Accounts Officer (Salt)" shall be substituted.

[File No. 02011/01/2000-Salt.]
S. JAGDEESAN, Jt. Secy.

Foot note:-The principal rules were published vide notification number S.O. 2167 dated the 6th June, 1964 and subsequently amended vide S.O. No.4037, dated the 17th November, 1964; S.O. No. 2038, dated the 16th June, 1965; S.O. No. 1510, dated the12th May, 1966; S.O. No. 3592, dated the 18th November, 1966; S.O. No. 2543, dated the 27th August, 1973 and S.O. No. 2586, dated the 9th September, 1981.

FORM 'G'
(See first proviso under Rule 5)

Personal Ledger Account of M/s____________________

Date	Opening balance of cess	Amount of cess deposited	D.D. / Challan No. and date	Total (2+3)	Quantity of salt removed in tonnes	Equivalent amount of cess deposited	Mode of transport Rail/Road /Sea	Purpose for which removed Edible/ Industrial use/Exports	Destination /Place of removal	Bill No./ Invoice No.	Closing balance of cess (5-7)	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2762GI/2001-2

FORM 'H'

(See first proviso under Rule 5)

MONTHLY CESS ACCOUNT IN RESPECT OF M/s————————— FOR THE MONTH OF —————

Opening balance of cess	Amount deposited during the month	Total (1+2)	Quantity of salt removed during the month	Rate of cess	Amount of cess adjusted	Closing balance of cess	Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.